



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062020-220088
CG-DL-E-22062020-220088

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1764]
No. 1764]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2020/आषाढ 1, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2020/ASADHA 1, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1984(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 83 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन करती है। यह संयुक्त आयोग "जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग" के नाम से जाना जाएगा तथा इसका मुख्यालय उसी शहर में स्थित होगा जहां जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल का कार्यालय होगा।

[फा. सं. 47/1/2020-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1984(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 5 of Section 83 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby constitutes a Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territories of Jammu and Kashmir, and Ladakh with effect from the date of publication of this notification in 2706 GI/2020

the Gazette of India. The Joint Commission shall be known as "Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh" and its headquarter shall be located at the same city as that of the office of Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir.

[F. No. 47/1/2020-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.